



सत्यमेव जयते

संख्या- / जी०एस०(शिक्षा) / A4-122(P-I) / 2020

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

- 4 MAY 2022

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : -अप्रैल, 2022

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-1316 तथा पत्र संख्या-1317, दिनांक 06.10.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें।

2. यू०जी०सी० विनियम के अनुसार वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने संबंधी निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्थान, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सि०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा-24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा० कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :-

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या प्रति सत्र	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी रूड़की (आई.टी.आर.), 09 माईल स्टोन, रूड़की-देहरादून हाईवे, ग्रा०-किशनपुर, रूड़की	बी०टैक०:-		
	1. Civil Engg.	30	2020-21
	2. Computer Science & Engg.	30	
	3. Electrical & Electronics Engg.	30	
	4. Electronics & Communication Engg.	30	
	5. Mechanical Engg.	30	
	एम०टैक० (Computer Science & Engg)	18	

“विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तन होने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28.10.2020 का संज्ञान रखते हुए यू०जी०सी०, नियामक संस्था व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता आदेश निर्गत करे व तदनु रूप कृत कार्यवाही की सूचना इस सचिवालय को प्रेषित करे।”

3. अतएव अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(डा० रंजीत कुमार सिन्हा)

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या-412 (1)/जी०एस०(शिक्षा)/A4-122(P-I)/2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।